कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा
(मनरेगा कोषांग)

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक (N) 972 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत पेशरार प्रखण्ड में नाशपाती के बागवानी हेतु पौधो की गुणवतापूर्ण खरीदारी किया जाना है जिसके लिए Government Nurseries / Private Nurseries approved by the Government (NHB registered Nurseries) आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता को Technical एवं Financial Bid दो अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा में देना होगा तथा Technical बिड के साथ सारे कागजात, प्रमाण–पत्र एवं 10,000/– (दस हजार) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होगा एवं 'वित्तीय बीड' में प्रति पौधे का दर अंकित रहेगा। निविदादाता सीलबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 24.09.2020 को 01.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा में जमा कर सकते हैं। निविदादाताओं का निविदा उसी दिन दिनांक 24.09.2020 को 03.00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति तथा निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा की शर्त्तों में संशोधन करने या बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

नोट :– पौधा आपूर्ति से संबंधित निविदा की विस्तृत शर्त्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट एवं https://lohardaga.nic.in पर देखा जा सकता है।

10.9.20

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।

ज्ञापांक 263 /म0को0, दिनांक : 10/9/2020

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि समाचार पत्र के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि लोहरदगा जिला के वेबसाईट www.lohardaga.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

10.9.20

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा
(मनरेगा कोषांग)

अति अल्पकालीन निविदा

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक (N) 972 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत पेशरार प्रखण्ड में नाशपाती के बागवानी हेतु पौधो की गुणवतापूर्ण खरीदारी किया जाना है जिसके लिए Government Nurseries / Private Nurseries approved by the Government (NHB registered nurseries) आपूर्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

अतः विभागीय पत्र के आलोक में निम्न शर्त्तो के आधार पर नाशपाती के पौधे की आपूर्ति के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं :–

गुणवत्तापूर्ण पौधों के चयन एवं नाशपाती के पौधें के कय हेतु शर्त्त निम्नवत् हैं :–

1. Budded / Cuttage नाशपाती के पौधे का कम से कम दो प्रजाति (Pattar Nak और नेतरहाट लोकल) का पौधा होना चाहिए।
2. पौधों (नाशपाती) का लम्बाई 3′ से 5′ के बीच हो।
3. पौधों में किसी प्रकार का रोग / बीमारी नहीं हो, कम से कम 3–4 स्वस्थ Flushes निकला हो।
4. पौधो का उम्र कम से कम 1 वर्ष से 2 वर्ष का होना चाहिए।
5. पौधों के थैला काला Polythene का हो एवं थैला (Black Polythene bag) का आकार 6" x 7" से 9" x 11" का होना चाहिए, पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो। पौधे में Bottle neck न हो।
6. पौधे Poly-tube में तैयार किये गए हो एवं उनमें मूल जड़ उपलब्ध हो। साथ ही वैसे पौधे को भी प्राथमिकता दी जायेगी, जिनको बड़े आकार के Poly-tube में तैयार किया गया हो।

निविदा की शर्त्ते

1. निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्ता/निर्माता होने का प्रमाण–पत्र।
2. संस्था के पास आयकर रिटर्न तीन वर्ष का (2016–17, 2017–18, 2018–19), Government Nurseries / Private Nurseries approved by the Government (NHB registered nurseries) संबंधी प्रमाण–पत्र, PAN Card, आधार तथा दूकान का GST नम्बर लगाना अनिवार्य है।
3. National Horticulture Board, GOI द्वारा Nursery Registration संबंधी प्रमाण–पत्र देना आवश्यक है।
4. संस्था काली सूची में नहीं डाली गयी हो, इसके लिए शपथ–पत्र देना आवश्यक है।
5. कार्य स्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
6. स्थानीय Nursery को प्राथमिकता दी जायेगी।

7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्त्ति आदेश के आलोक में नाशपाती के पौधों का आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर के ही पंचायत में जमा करेंगे।
8. आपूर्तिकर्त्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं ऐसे स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
9. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण पौधा आपूर्ति नहीं करने एवं ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निविदादाताओं को 10,000/– (दस हजार) रूपये का ड्रॉफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा लोहरदगा के पद नाम से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
11. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आपूर्ति आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्दिष्ट स्थल पर पौधा की आपूर्ति करनी होगी।
12. निविदादाता को निविदा खुलने के दिन पौधा का नमूना लाना अनिवार्य है।
13. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय सीमा के अन्दर यदि पौधों की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. निविदादाता को Technical एवं Financial Bid दो अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा में देना होगा तथा Technical बिड के साथ सारे कागजात, प्रमाण–पत्र एवं डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होगा एवं 'वित्तीय बीड' में प्रति पौधे का दर अंकित रहेगा।
15. निविदादाता सीलबंद लिफाफे में निविदा दिनांक 24.09.2020 को 01.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लोहरदगा में जमा कर सकते हैं।
16. निविदादाताओं का निविदा उसी दिन दिनांक 24.09.2020 को 03.00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति तथा निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जायेगी।
17. निविदा की शर्त्तों में संशोधन करने या बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

(हस्ताक्षर) 10.9.20
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।

ज्ञापांक 262/म0को0,   दिनांक : 10/09/2020

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त अल्पकालीन निविदा को समाचार पत्रों के माध्यम से ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि लोहरदगा जिला के वेबसाईट www.lohardaga.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 10.9.20
उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मनरेगा, लोहरदगा।